

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील बगरु का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील बगरु के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू.अ. निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे।

क्र.सं	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त	
1	बगरु कलां	1	बगरुकलां ए
		2	बगरुकलां बी
		3	अवानियां
		4	रामपुरा ऊंती
		5	दहमी कलां
		6	ठिकरिया
		7	भंभोरिया
		8	अजयराजपुरा
2	मुहाना	9	महापुरा
		10	कलवाडा
		11	नेवटा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील आंधी का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील आंधी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क.सं	भू.अ.निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त	
1	रायसर	1	मंहगी
		2	सानकोटडा
		3	भावनी
		4	रायपुर
2	आंधी	5	आंधी
		6	थली
		7	नीमला
		8	राम्यावाला
		9	डांगरवाडा
		10	फूटोलाव
		11	लालवास
		12	गांवली
		13	विरासना
		14	थौलाई
3	बूज	15	खवारानीजी
		16	खरकडा
		17	धूलारावजी

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

31/5/12

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राजा विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान- सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

-:अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सराडा जिला उदयपुर का पुर्नगठन/नवीन सृजन कर उप-तहसील सेमारी का सृजन करती हैं।


नवसृजित उप तहसील सेमारी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं शामिल होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सेमारी	1. सेमारी
		2. कुराडिया
		3. सदकडी
		4. भयामपुरा
		5. कुण्डा
		6. घोडासर
		7. भौराई
		8. टोकर
		9. धनकावाडा

b

2	सल्लाडा	10. रठोडा
		11. चन्दोडा
		12. ईटाली
		13. बडावली
		14. मल्लाडा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज। विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान- सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर का पुर्नगठन/नवीन सृजन कर उप-तहसील सायरा का सृजन करती हैं।


नवसृजित उप-तहसील सायरा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सायरा	1. सायरा
		2. बोखाडा
		3. ब्राह्मणों का कलवाना
		4. पलासमा
		5. दियाण
		6. भानपुरा
		7. सिंघाडा
		8. सेमड
2	पदराडा	9. पदराडा
		10. पुनावली
		11. कमोल
		12. विशामा

h

		13. रावछ
		14. चित्रावास
		15. सुआवतों का गुडा
3	नान्देशमा	16. ढोल

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

[Signature]
3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राजा विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

[Signature]
3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान- सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

-:अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील खैरवाडा जिला उदयपुर का पुर्नगठन/नवीन सृजन कर उप-तहसील नयागांव का सृजन करती हैं।


नवसृजित उप-तहसील नयागांव के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	छाणी	1. छाणी
		2. कनबई
		3. जायरा
		4. बलीचा
		5. पाटिया
		6. गुडा
		7. डबायचा
		8. भोमटावाडा
2	पहाडा	9. पहाडा
		10. करावाडा

h

		11. नयागांव
		12. सकलाल
		13. सरेरा
		14. महुवाल
		15. थाणा
		16. असारीवाडा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतिव्यां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राजा विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9 (30)राज./गुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील बसवा जिला दौसा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील बाँदीकुई का नवीन सृजन करती है।

नव सृजित उप तहसील बाँदीकुई के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त का नाम	पटवार मण्डल का नाम
1	बाँदीकुई	1. बाँदीकुई जांगीर
		2. भाण्डेडा
		3. उनबडागाँव
		4. पीचूपाडा खुर्द
		5. पीचूपाडा कलों
		6. श्यालावास कलों
		7. श्यालावास खुर्द
2.	गुढलिया	8. गुढलिया
		9. धनावड
		10. कोलवा
		11. भोजवाडा
		12. देलाडी
		13. अरनिया
		14. प्रतापपुरा
		15. भांवता

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

2009/31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

2009/31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

2009/31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9 (30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील महवा जिला दौसा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील मण्डावर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील मण्डावर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	मण्डावर (पूर्ण)	1 कोट
		2 हल्दैना
		3 गढहिम्मतसिंह
		4 मण्डावर
		5 बनाबड
		6 रींदली
		7 रायपुर
		8 पाखर-2
2	रसीदपुर (आंशिक)	9 धौलखेडा
		10 जटवाड़ा
		11 पाखर
		12 ऊकरूंद

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9 (30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील सिकराय जिला दौसा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील सिकन्दरा का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	सिकन्दरा (आंशिक)	1. सिकन्दरा
		2. बावनपाड़ा
		3. कैलाई
		4. दुब्बी
		5. छोकरवाड़ा
		6. ब्राह्मण बैराड़ा
		7. निहालपुरा
		8. डोलिका
		9. मरियाड़ा
		10. पीपलकी
2	टोरडा (आंशिक)	11. शेखपुरा
		12. राणौली
		13. मोहचिंगपुरा
		14. गुमानपुरा

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9 (30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील लालसोट जिला दौसा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील रामगढ पचवारा का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील रामगढ पचवारा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	रामगढ पचवारा (पूर्ण)	1. सोनड 2. हेमल्यावाला 3. बिदरखा 4. रामनगर रेवडी 5. निजामपुरा 6. रामगढ पचवारा 7. अमराबाद 8. बीछा 9. गांगल्यावास 10. नौरंगपुरा
2.	कल्लावास (आंशिक)	11. कालूवास 12. गोपालपुरा 13. कल्लावास 14. राहुवास 15. पालून्दा

आज्ञा से

(अन्तर सिंह) 31/5/12

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक : 31.5.2012


-:अधिसूचना:-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील नेछवा का सृजन करती है ।

नवसृजित उप तहसील नेछवा के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.सं.	भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	नेछवा	नेछवा
2		गनेड़ी
3		सूतोद
4		कुमास जागीर
5		घिरनियांबड़ा
6		काछवा
7		भिलूण्डा
8		सूठोठ
9		रुल्याणी
10		ढहरकाबास
11	जाजोद (आंशिक)	रुल्याणामाली
12		मीरण
13		गाड़ोदा
14		मंगलूना
15		तिड़ोकीबड़ी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक: 31.5.2012


—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील पाटन का सृजन करती है।

नव सृजित उप तहसील पाटन के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क.सं.	भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	पाटन	पाटन
2		रायपुर पाटन
3		हसामपुर
4		बल्लुपुरा
5		बेगाकी नांगल
6		मोटूका
7		राजपुरा
8		घासीपुरा
9		छाजा की नांगल
10		रामसिंहपुरा
11		डूंगा की नांगल
12		दलपतपुरा
13	डाबला	डाबला
14		बिहार
15		स्यालोदड़ा
16		बिहारीपुर
17		श्यामपुरा
18	सांवलपुरा तंवरान (आंशिक)	लादीका बास
19	नीमकाथाना (आंशिक)	डोकन

आज्ञा से


(अन्तर सिद्ध)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-1)विभाग
क्रमांक:-प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक 31.5.2012

-:अधिसूचना:-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 व 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर, खण्डेला व नीम का थाना का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील अजीतगढ़ का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील अजीतगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	अजीतगढ़	अजीतगढ़
2		जुगराजपुरा
3		हथोरा
4		गढ़टकनेत
5		आसपुरा
6		दिवराला
7		सिहोडी
8		हाथीदेह
9		हरदास का बास
10		थोई
11		कल्याणपुरा
12		झाड़ली
13		रामपुरा
14		बुर्जा की ढाणी
15		करड़का



16	सावलपुरा तंवरान(आंशिक)	सावलपुरा तंवरान
17		टटेरा
18		किशोरपुरा
19		खटकड़
20		रायपुर जागीर
21		पीथलपुर
22		चीपलाटा

भवदीय

8/25/12
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

hmm 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

hmm 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

hmm 31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील रामगढ़ का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील रामगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क0सं0	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	रामगढ़	रामगढ़
2		ढिलकी जाटान
3		उज्जलवास
4		गोगामेडी
5		गोगाणा
6		दीपलाना
7		परलीका-ए
8		परलीका-बी
9		बरवाली
10	फेफाना	पदमपुरा
11		गुडिया
12	मेघाना	ललानाबास उतरादा
13		ललानाबास दिखनादा

आज्ञा से
(अन्तर सिंह) 31/5/12
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील डीडवाना जिला नागौर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील छोटी खाटू का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील छोटी खाटू के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :

क्र०सं	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	छोटी खाटू (खाटू खुर्द)	खाटू खुर्द
2		शेरानी आबाद
3		बिचावा
4		केराप
5		मामडोदा
6		लोरोली कलां
7		मण्डूकरा
8		खरवालिया
9		पीड़वा
10		पावा
11	खुनखुना	तोषीणा
12		थेबड़ी
13		सानियां
14		आगून्ता

आज्ञा से
(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त स्थायी आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला, कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जमगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/11/2012
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/11/2012
31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/11/2012
31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012


—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील किशनगंज जिला बारां में नवीन उप तहसील नाहरगढ़ का सृजन करती है ।

नवसृजित उप तहसील नाहरगढ़ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल होंगे :-

क्र० सं०	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	2	3
1.	नाहरगढ़	नाहरगढ़
2.		ख्यावदा
3.		बादीपुरा
4.		मामली
5.		सिमलोद
6.		छतरगंज
7.		जलवाड़ा
8.		बजरंगगढ़
9.		परानिया
10.		घट्टी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़ का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील बस्सी का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील बस्सी के क्षेत्राधिकार में आने वाले भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डलों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम भूअ.नि वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	बस्सी	1 बस्सी
		2 आंवलहेड़ा
		3 सेमलपुरा
		4 पालका
		5 सोनगर
		6 घोसुण्डी
		7 पाल
		8 नगरी
2	विजयपुर	9 विजयपुर
		10 केलजर
		11 अमरपुरा
		12 दौलतपुरा
		13 सादी
		14 अभयपुर
		15 नेतावलगढ़ पाछली

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प. 9(30)राज/ग्रुप-1/2012

दिनांक:- 31.5.2012

-:: अधिसूचना ::-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस एवं सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील राजियासर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील राजियासर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू.अ.नि.	नाम पटवार मण्डल
1.	बीरमाना	बीरमाना
2.		मालेर
3.		4 डी.डब्ल्यू.एम.
4.		उदयपुर गोदारान
5.		लालगढ़
6.	बख्तावरपुरा	बख्तावरपुरा
7.		1 ए.एस.
8.		रघुनाथपुरा
9.		गोविन्दसर
10.		सुरजनसर
11.		भोपालपुरा
12.		6 जी.डी.एम.
13.		गुडली
14.		हरदासवाली
15.		गोपालसर
16.	राजियासर स्टेशन	राजियासर स्टेशन
17.		कोनपालसर
18.		देईदासपुरा
19.		सिंगरासर
20.		मोकलसर

आज्ञा से
31/5/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(30) राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012


-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का पुनर्गठन/नवसृजन कर उप तहसील जैतसर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील जैतसर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे -

क्र.सं.	भू अ. नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	जैतसर	जैतसर
2		2 जीबी ए
3		7 जीबी
4		4 जेएसडी
5		3 एसएडी
6	12 जी.बी.	12 जीबी
7		17 जीबी
8		23 जीबी
9		17 एसडी
10		23 एसडी
11		8 बीजीडी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज। विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान- सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:- प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

-:अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील झाडोल जिला उदयपुर का पुर्नगठन/नवीन सृजन कर उप-तहसील फलासिया का सृजन करती हैं।

नवसृजित उप तहसील फलासिया के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं शामिल होंगे:-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	फलासिया	1. फलासिया
		2. सडा
		3. आमीवाडा
		4. आमलिया
		5. सोम
		6. धरावण
		7. निचली सिगरी
		8. बिछीवाडा
		9. आमोड



		10. कोल्यारी
		11. नेवज
2	पानरवा	12. गरणवास
		13. अम्बासा
		14. डैया
		15. पानरवा
		16. आजरोली खास
		17. बिरोठी
3	मादडी	18. पीपलबारा
		19. मादला

आज्ञा से

M/31/5/12
(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुन्नाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

hooan 3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

hooan 3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

hooan 3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012

—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद्वारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील सावर का सृजन करती है। नवसृजित उप तहसील सावर के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल होंगे:-

क्रम संख्या	भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र	पटवार मण्डल
1	1.सावर	1 सावर-1 2 सावर-2 3 चीतिवास 4 जीतापुरा 5 कुशायता 6 बिसुन्दनी 7 टांकावास 8 राजपुरा
2	2.घटियाली	9 घटियाली-1 10 घटियाली-2 11 बाजटा 12 चौसला 13 कालेडा कंवरजी 14 गिरवरपुरा 15 खेजड़ी
3	3.मेहरूकलां	16 मेहरूकलां-1 17 मेहरूकलां-2 18 सदार 19 आलोली 20 पीपलाज 21 आमली 22 गोरधा

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

10012 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राजा विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

10012 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

10012 31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


--: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकमण में, राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप-तहसील श्रीनगर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील श्रीनगर के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार भू अभिलेख निरीक्षक वत्त एवं पटवार मण्डल होंगे:-

क्रम संख्या	भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र	पटवार मण्डल	
1	1. श्रीनगर	1	श्रीनगर-प्रथम
		2	श्रीनगर-द्वितीय
		3	फारकिया
		4	हाथीपट्टा
		5	कानाखेड़ी
		6	रामपुरा अहीरान
		7	जिलावड़ा
		8	लबेरा
		9	मोड़ी
		10	गादेरी
	2. कानपुरा	11	ढाल
		12	मण्डियानी
		13	कानपुरा-प्रथम
		14	कानपुरा-द्वितीय
		15	तिहारी-प्रथम
		16	तिहारी-द्वितीय
		17	तिलाना-प्रथम
		18	तिलाना-द्वितीय
		19	चांदसैन
		20	नवाब

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (युप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-2/20112

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

-:: अधिसूचना ::-


राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर का पुनर्गठन/नवीन सृजन करं उप-तहसील अराई का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील अराई के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं पटवार मण्डल होंगे:-

क्रम संख्या	भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र	पटवार मण्डल
1	1. अराई (आंशिक)	1 अराई-1 2 अराई-1A 3 कटसुरा-1 4 कटसुरा-1A 5 कालानाड़ा 6 मोतीपुरा
2	2. आकोड़िया	7 आकोड़िया 8 मुण्डोती 9 गोठियाना 10 झीरोता 11 गूजरवाड़ा 12 पाण्डरवाड़ा 13 ढसूक
3	3. लाम्बा (आंशिक)	14 लाम्बा-1 15 लाम्बा-1A (केबानियों) 16 झाड़ौल 17 मण्डावरिया 18 सांदोलिया 19 काकलवाड़ा

4.	4. सिरोंज (आंशिक)	20	सिरोंज
		21	डांग
		22	भामोलाव
		23	गागुन्दा
		24	गहलपुर
		25	भोगादीत

आज्ञा से


(अन्वर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

3/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(30) राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक: 31.5.2012


—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का पुनर्गठन/नवसृजन कर उप तहसील जैतसर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील जैतसर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे -

क्र.सं.	भू अ. नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	जैतसर	जैतसर
2		2 जीबी ए
3		7 जीबी
4		4 जेएसडी
5		3 एसएडी
6	12 जी.बी.	12 जीबी
7		17 जीबी
8		23 जीबी
9		17 एसडी
10		23 एसडी
11		8 बीजीडी

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:—

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/05/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प.9(30)राज/ग्रुप-1/2012/

जयपुर, दिनांक :- 31.5.2012


:: अधिसूचना ::

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील मिर्जेवाला.. का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील मिर्जेवाला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र०सं०	भू०अ०नि० वृत्त	पटवार मण्डल
1	मिर्जेवाला	मिर्जेवाला
2		4 के
3		मटीली ए
4		मटीली बी
5		संगतपुरा
6		बखताना
7		दौलतपुरा
8	रामनगर	3 सी छोटी
9		साहिबसिंहवाला
10	शिवपुर	मोहनपुरा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.12

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील तलावड़ा का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील तलावड़ा के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1	कुनकटा कलौ	कुनकटा कलौ
2		अमरगढ
3		नोगाव
4		बूचोलाई
5		तलावड़ा
6		नारायणपुर
7		हीरापुर
8		खेडावाढरामगढ

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

20/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज। विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/01/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(गुप-1)विभाग
क्रमांक :प.9(30)राज./गुप-1/2010

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


- : अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिकरण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील गुढागौड़जी का नवीन सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील गुढागौड़जी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू0अ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	बड़ागांव	बड़ागांव
2		हांसलसर
3		नाटास
4		केड
5		भाटीवाड़
6		गढ़ला कलां
7		मैनपुरा
8		छावसरी
9		सीथल
10		बजावा
11		छऊ
12		टीटनवाड़
13	गुढागौड़जी	गुढागौड़जी
14		खेदड़ा की ढाणी
15		दुड़िया
16		नेवरी
17		किशोरपुरा
18		चंवरा
19		कंकराना
20		बामलास
21		भोड़की

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9(30) राज./ ग्रुप-1 / 2012

जयपुर दिनांक : 31.5.2012


--: अधिसूचना ::--

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील रावला का सजन करती है।

नवसृजित उप तहसील रावला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार शामिल होंगे:-

क्र.सं.	भू.अ.नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	रोजड़ी बी	9 पीएसडी ए
2	1 एसकेएम बी	13 केडी ए
3	रावला ए	8 पीएसडी बी
4		10 केडी
5		7 केएनडी ए
6		7 केएनडी बी
7		7 डी ओ एल बी
8		1 केएनएम द्वितीय ए
9	रावला बी	2 केएलडी
10		10 डीओएल बी
11		13 डीओएल
12		8 केएनडी बी
13		14 केएनडी ए
14		17 केएनडी ए

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपोल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील दीगोद जिला कोटा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील सुल्तानपुर का सृजन करती है।

नव सृजित उप तहसील सुल्तानपुर के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र. सं.	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार वृत्त
1	सुल्तानपुर	1-सुल्तानपुर
		2-खेडली तंवरान
		3-नोताडा
		4-किशोरपुरा
		5-मोरपा
		6-बिसलाई
2	बडौद	7. बडौद
		8 कोटडादीप सिंह
		9 मदनपुरा
		10 बनेठिया
		11 खेरूला
		12 बगावदा
		13 बूढादीत
3	झाडगांव	14. झाडगांव
		15. मोराना
		16. नीमोदा उजाड
		17. लाखसनीजा
		18. मण्डावरा
		19. टाकरवाडा

आज्ञा से


(अनंद सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा का पुनर्गठन/नवसृजन कर उप तहसील काछोला का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील काछोला के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भू0अ0नि0 वृत्त	पटवार मण्डल
1	महुआ (आंशिक)	1 काछोला
		2 राजगढ़
		3 थलकलां
		4 धामणियां
		5 सरथला
		6 जस्सुजी का खेड़ा
2	श्यामपुरा (आंशिक)	7 श्रीनगर
		8 बीकरण
		9 झंझोला
		10 माल का खेड़ा
		11 मांगटला
3	बीगोद (आंशिक)	12 रलायता
		13 मानपुरा

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज। विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9 (30) राज./गुप-1/2012

दिनांक : 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम , 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में , राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील बागोर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील बागोर के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे :-

क्र.सं.	भूअ0नि0 वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	बागोर	1 बागोर प्रथम
		2 बागोर द्वितीय
		3 टहूँका
		4 लेसवा
		5 बावलास
		6 चांदरास
		7 चांखेड़
2	घोड़ास (आंशिक)	8 घोड़ास
		9 पीथास
		10 अमरगढ़
		11 जोरावरपुरा
		12 भावलास

आज्ञा से



(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

20/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज। विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

20/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

20/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012


—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील हिण्डौन जिला करौली का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर नवीन उप तहसील सूरौठ का सृजन करती है ।

नवीन उप तहसील सूरौठ के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल रहेंगे :—

क्र० सं०	भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त	पटवार मण्डल
1.	सूरौठ	सूरौठ
2.		बाईजट्ट
3.		भुकरावली
4.		जटवाडा
5.		धंधावली
6.		खेडी हैवत
7.		ढिढोरा
8.		विजयपुरा
9.	शेरपुर	शेरपुर
10.		चिनायटा
11.		जगर-बी
12.		जगर-ए
13.	महू-इब्राहिमपुर	पाली
14.		लहचौडा
15.		खेडली गुर्जर

आज्ञा से


(अनंद सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

hcmia
21/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

hcmia
21/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकधाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

hcmia
21/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील डीग जिला भरतपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील जनूथर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील जनूथर के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित भू अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	भू.अ. निरी. वृत	पटवार मण्डल
1	1 जनूथर	1. जनूथर
		2 दांतलोठी
		3 जाटोली थून
		4 मवई
		5 मोरोली
		6 शीशवाडा
		7 बडेसरा
2	2 सिनसिनी	8 सिनसिनी प्रथम
		9 सिनसिनी द्वितीय
		10 खोहरी
		11 गिरसे
		12 श्योरावली
		13 नसवाडा
		14 सोनगांव

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

27/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

27/01/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012


जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील रारह का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील रारह के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	भू.अ. निरी. वृत्त	पटवार मण्डल
1	1.अजान (पूर्ण)	1.रारह
		2.अजान प्रथम
		3.अजान द्वितीय
		4.गुनसारा प्रथम
		5.गुनसारा द्वितीय
		6.सॉतरुक प्रथम
		7.सॉतरुक द्वितीय
		8.बुराबई
		9.ताखा
		10.अवार
2	2.डहरा (आंशिक)	11.उवार
		12.सोगर
		13.अभोरा
3	3.कस्बा कुम्हेर (आंशिक)	14.तालफरा
		15.डिडवारी

आज्ञा से

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, मू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने, बाबत।

हस्ताक्षर 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज. विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

हस्ताक्षर 31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर 31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील नदबई जिला भरतपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील लखनपुर का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील लखनपुर के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	भू.अ. निरी. वृत्त	पटवार मण्डल
1	1.लखनपुर	1.बछामदी
		2.पीगोरा
		3.गोवरा
		4.अटारी
		5.मई
		6.लखनपुर
		7.शाहपुर
		8.डहरा
		9.परसवारा
2	2.पहरसर (आशिक)	10.अरोदा
		11.हन्तरा
		12.गगवाना
		13.परहसर
		14.गादौली
		15.करही

आज्ञा से



(अन्तर सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001 (उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 31.5.2012


:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील कामां जिला भरतपुर का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील जुरहरा का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील जुरहरा के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्रम संख्या	नव सृजित उप तहसील में सम्मिलित भू.अ. निरी. वृत्त	नव सृजित उप तहसील में सम्मिलित पटवार मण्डल
1	1. जुरहरा	1.जुरहरा प्रथम 2.जुरहरा द्वितीय 3.पाई 4.जुरहरी 5.नौगावा 6.वांमनी 7.सोनोखर 8.भण्डारा
2	2. नौनेरा	9.नौनेरा प्रथम 10.नौनेरा द्वितीय 11.गांवडी 12.रसूलपुर 13.सहेंडा 14.नगला भोंगरा 15.ऐंचवाडा 16.ऊंचेडा

आज्ञा से


(अन्त सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर,, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देकरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान –सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग
क्रमांक: प.9(30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर, दिनांक : 31. 5. 2012


–: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में, राज्य सरकार एतद् द्वारा तहसील मालपुरा जिला टोंक का पुनर्गठन/नवीन सृजन कर उप तहसील डिग्गी का सृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील डिग्गी के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल रहेंगे :-

क्र. सं.	भूअ.नि.वृत	पटवार मण्डल	
		क्र.सं.	पटवार मण्डल
1.	डिग्गी (पूर्ण)	1.	डिग्गी प्रथम
		2.	डिग्गी द्वितीय
		3.	देशमा
		4.	कुरथल
		5.	किरावल
		6.	चावण्डिया
		7.	चोसला
		8.	चेनपुरा
2.	लावा (पूर्ण)	9.	सीतारामपुरा
		10.	अजमेरी
		11.	लावा प्रथम
		12.	लावा द्वितीय
		13.	सोडा
		14.	सोडाबावडी
		15.	चबराना
		16.	कुटका
		17.	कडीला
		18.	धोली
		19.	भीपुर
3.	मालपुरा (आंशिक)	20.	चान्दसेन
4.	टोरडी (आंशिक)	21.	कलमण्डा
		22.	मालूणी

आज्ञा से


(अनंद सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राजा विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

31/5/12
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.9 (30)राज./ग्रुप-1/2012

जयपुर दिनांक : 31.5.2012


—: अधिसूचना :-

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956 की धारा 15 तथा 16) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में, राज्य सरकार एतद द्वारा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का पुनर्गठन/नव सृजन कर उप तहसील धोरीमना का नवसृजन करती है।

नवसृजित उप तहसील धोरीमना का कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित निरीक्षक वृत एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे:-

क्र.स.	भू अ0 निरीक्षक वृत	नाम पटवार मण्डल
1.	धोरीमना (पूर्ण)	धोरीमना
2.		नेडीनाडी
3.		कोजा
4.		राणासर कला
5.		भीमथल
6.		मिठडा खुर्द
7.		लोहारवा
8.		दूधु
9.		लूखू
10.		भलीसर
11.		अरणियाली
12.		चेनपुरा
13.		खारी
14.		सुदाबेरी
15.	नोखडा (आंशिक)	मांगता
16.		शोमाला जेतमाल
17.		बूठ जेतमाल
18.		उड़ासर
19	गुड़ामालानी (आंशिक)	बोर चारणान

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।

सहायक शासन सचिव
31/5/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव
31/5/12

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (गुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव
31/5/12

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप 1) विभाग

क्रमांक : प-9 (30) राज. /ग्रुप-1 /2012

जयपुर, दिनांक : 31.5.2012

:- अधिसूचना :-


राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 (राजस्थान अधिनियम 15 सन् 1956) की धारा 15 तथा 16 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस संबन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अतिक्रमण में राज्य सरकार एतद द्वारा **तहसील सिवाना जिला बाड़मेर का पुनर्गठन/नवसृजन कर उप तहसील समदड़ी का सृजन करती है ।**

नवसृजित उप तहसील समदड़ी के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त एवं पटवार मण्डल शामिल होंगे-

क्र. स.	भूअ.नि. वृत्त	नाम पटवार मण्डल
1	समदड़ी	1 समदड़ी
		2 जेठन्तरी
		3 सिलोर
		4 बामसीन
		5 कुम्पावास
		6 देवडा
		7 रानीदेशीपुरा
		8 भलरों का बाड़ा
2	राखी	9 राखी
		10 करमावास
		11 सांवरड़ा
		12सेवाली
		13 रातड़ी
		14 खण्डप
		15 सरवड़ी चारणान
3	अजीत	16 अजीत
		17 खेजड़ीयाली
		18 रामपुरा

		19 ढीढस
		20 खरंटीया
		21 कोटडी
		22 मजल

आज्ञा से


(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक / समस्त मंत्रीगण /राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलेक्टर्स राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
10. निदेशक, जनगणना विभाग, 6-बी, झालाना झूगर, जयपुर।
11. मुख्य चुनाव अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत।


सहायक शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, जनरल मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर।


सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, गृहमंत्रालय/रक्षा/संचार/कृषि/ग्रामीण विकास/रेल्वे/ उद्योग/शिक्षा और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. सचिव, रेल्वे मण्डल, नई दिल्ली।
3. सर्वेयर, जनरल आफ इण्डिया पी.बी. नम्बर 37 देहरादून 248001(उत्तराखण्ड) तीन अति0 प्रतियों में।
4. निदेशक, डाक व तार विभाग, डाक तार भवन, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट नई दिल्ली।
5. महाडाकपाल, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन सरदार पटेल मार्ग जयपुर।
7. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव